अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर 44/19/225 पप्पूसिंह बनाम धीरा कौर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/00044 श्री शोभित लाल श्री सुभाष शर्मा	

पप्पू बनाम धीरा वगैरह

30.4.19

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि अपील न्यायालय में पोषणीय नहीं है इसलिए खारिज की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि अपील के क्षैत्राधिकार पर बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष की अपील क्षैत्राधिकार पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं आवेदन की प्रति व प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 05.02.2019 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस किये जाकर पत्रावली दिनांक 21.02.2019 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायायालय के आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील श्रवणायोग्य नहीं हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing."। मान्नीय मण्डल की उक्त नजीर द्वारा अपील चलने योग्य नही पायी जाती हैं। **अतः अपील अपीलांट श्रवणा योग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं। मिसल फैसंलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
30/4/19